

अनुलग्नक-ग3



जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-09

राज्य का नाम- उत्तर प्रदेश जिला-बलरामपुर निर्वाचन-लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 (58-श्रावस्ती)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायेगा
1	अभ्यर्थी का नाम पता	श्री उग्रसेन सिंह, ग्राम व पोस्ट गैजहवा जनपद बलरामपुर
2	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	58-श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री राम शिरोमणि
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई, 2019
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	18 जून, 2019
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेण्ट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेण्ट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ सं० 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	22-06-2019
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (i) मूल लेखा (ii) लेखा समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	21-06-2019
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	-

13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	-
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	-
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, पर डीईओ की टिप्पणियां	-
15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग।	1,64,734-00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	-
	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	-
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सम्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	-
	(iv) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	-
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खोते के माध्यम से किये गये हैं।	-
18	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	नहीं
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	-
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	-

19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेषण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें।			हाँ		
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेषण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेषण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
i	-	-	-	-	-	-
ii, iii	-	-	-	-	-	-
कुल	-			-	-	-
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर सन्दर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे:-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियां, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई।			-		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद साहित्य (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से सम्बन्धित जारी किये गये सभी नोटिसों की प्रतियां संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।			-		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?			-		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियां (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद साहित्य) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			-		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।			-		

22	<p>क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठाक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं० 8 के समान होना चाहिए)</p> <p>दिनांक : 24-06-2019</p>	<p>हाँ</p> <p> (कृष्णा करुणेश) जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर।</p>
23	<p>व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि हो तो</p> <p>दिनांक: 24-06-2019</p>	<p> व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर</p>